

## दक्षिण रेलवे

का.आ.सं. 01/9/सिवदूसं./2017

विषय - वसेइंजी/सिगनल का तिरुवनंतपुरम मंडल से मदुरै मंडल को अंतरमंडलीय एकतरफा अनुरोध पर स्थानांतरण ।

संदर्भ - 1. मुकाधी/चेन्नै का का.आ.सं. एसजी/56/2016 दि.06.07.2016

2. मंकाधि/तिरुवनंतपुरम का का.आ.सं. 43/2016/एस व टी दि. 05.09.2016

सातवें वेतन आयोग के पे मेटट्रिक्स लेवल 7 पर कार्यरत निम्नलिखित वसेइंजी/सिगनल को वही वेतन पर नीचे दिए अनुसार हरेक आगे दर्शाए स्टेशनों को स्थानांतरित किया जाता है ।


क्र.सं.	नाम श्री/श्रीमती	से	को	स्थानांतरण की प्रणाली
1	टी.दीनदयालन	विरुदुनगर	तेनकाशी	अनुरोध
2	एस. इम्तियाज़	उ/मदुरै	द/मदुरै	अनुरोध
3	के. सुरेश कण्णन	द/मदुरै	टीआर/मदुरै	प्रशासनिक
4	डी. राजेश्वरी	टीआर/मदुरै	द/मदुरै	प्रशासनिक

सातवें वेतन आयोग के पे मेटट्रिक्स लेवल 7 पर कार्यरत श्री ए.जी.महेन्द्रन, वसेइंजी/सिगनल/तिरुवनंतपुरम मंडल को उनके अपने अनुरोध पर वही वेतन और वेतन लेवल में मदुरै मंडल को स्थानांतरित किया जाता है । कर्मचारी दि. 17.01.2017 को तिरुवनंतपुरम मंडल से भारमुक्त होकर दि. 18.01.2017 को मदुरै मंडल में रिपोर्ट किया है । उनको वसेइंजी/सि/उत्तर/मदुरै के रूप में तैनात किया जाता है ।

का, वही वेतन और ग्रेड पे में तिरुवनंतपुरम मंडल को अंतरमंडलीय एकतरफा स्थानांतरण का अनुरोध निम्नलिखित शर्तों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया है । दि. 17.01.2017 से दि. 18.01.2017 तक की अवधि तैनाती आदेश के लिए प्रतीक्षित अवधि माना जाए । अनुरोध पर स्थानांतरण होने के कारण कोई स्थानांतरण सुविधा पाने के लिए पात्र नहीं है ।

भारमुक्ति/कार्यग्रहण की तारीख इस कार्यालय को सूचित किया जाए ।

मंडल कार्यालय,  
कार्मिक शाखा,  
मदुरै, दि, 20.01.2017  
सं. यू/पी.608/9/सिवदूसं/वसेइंजी/सिगनल

  
(एम.पी.लिपिनराज)  
मंडल कार्मिक अधिकारी/मदुरै

प्रति - मुकाधि/चेन्नै, मुसिवदूसंइंजी/चेन्नै,  
व मंविप्र/मदुरै, तिरुवनंतपुरम, व सिवदूसंइंजी/मदुरै, तिरुवनंतपुरम, मंकाधि/ तिरुवनंतपुरम,  
राधि/मदुरै, वसेइंजी/सि/प्रका/मदुरै, द/मदुरै, उ/मदुरै, टीआर/मदुरै, विरुदुनगर, तेनकाशी  
मुकाधी/सिवदूसं शाखा, बिल, गोपनीय शाखा, का.आ.फाइल,  
डीएसमदुरै/एसआरएमयू, मंकाधि के आशुलिपिक

दक्षिण रेलवे  
का.आ.सं. 02/9/सिवदूसं./2017

विषय - श्री कृष्ण कुमार, वतकनीशियन/सिगनल अनुरक्षक/मणप्पारै/मदुरै मंडल/दक्षिण रेलवे का तकनीशियन 2/सिगनल अनुरक्षक/सोनेपुर/पूर्व मध्य रेलवे के रूप में निम्नतम वरीयता में अंतरमंडलीय एकतरफा अनुरोध पर स्थानांतरण।

संदर्भ - मुकाधि/चेन्नै का ज्ञापन सं. पी/एस.676/9//आईआरटी/78/2016 दि. 12.01.2017

सातवें वेतन आयोग के पे मेट्रिक्स लेवल 6 (पे बेंड रु.9300-34800 + रु.4200 ग्रेड पे) पर कार्यरत श्री कृष्ण कुमार, वतकनीशियन/सिगनल अनुरक्षक/ मणप्पारै/मदुरै मंडल/दक्षिण रेलवे का, रिवर्सन में निम्नतम वरीयता में सातवें वेतन आयोग के पे मेट्रिक्स लेवल 4 (पे बेंड रु.5200-20200 + रु.2400 ग्रेड पे) पर तकनीशियन 2/सिगनल अनुरक्षक के रूप में रिवर्सन में सोनेपुर मंडल/पूर्व मध्य रेलवे को अंतर मंडलीय एकतरफा स्थानांतरण का अनुरोध सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया है।

उपर्युक्त अंतर मंडलीय एकतरफा स्थानांतरण निम्नलिखित शर्तों पर आधारित है -

1. कार्यग्रहण करने की तारीख पर कर्मचारी पे बेंड रु.5200-20200 + रु.2400 ग्रेड पे पर तकनीशियन 2/ सिगनल अनुरक्षक ग्रेड में नए यूनिट सोनेपुर मंडल/पूर्व मध्य रेलवे सभी स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों से कनिष्ठ होंगे।
2. यह स्थानांतरण अनुरोध पर होने के कारण स्थानांतरण पास, टीए, स्थानांतरण अनुदान, कार्यग्रहण अवधि जैसे कोई भी स्थानांतरण सुविधा पाने के लिए पात्र नहीं है।
3. स्थानांतरित नए मंडल/यूनिट में स्थायी तौर पर आमेलित होने तक उनका धारणाधिकार मूल यूनिट मदुरै मंडल/दक्षिण रेलवे में बने रहेगा।
4. भविष्य में अपने मूल यूनिट/मंडल को पुनःस्थानांतरण का अनुरोध नहीं करेंगे।
5. भारमुक्ति के तारीख पर उनके विरुद्ध कोई डीएआर/एसपीई/विजिलेंस मामले लंबित न हो।
6. भारमुक्ति करने के पहले कर्मचारी से उपर्युक्त सभी शर्तों से सहमत होने की घोषणा प्राप्त करके रेकार्ड के लिए मुकाधि/चेन्नै को भेजे।
7. कर्मचारी यदि रेलवे आवास में रहते हैं तो भारमुक्ति के पहले उसे खाली करना है।

कर्मचारी को भारमुक्त करते समय, रेलवे बोर्ड का पत्र सं. ई(एनजी)1-2001/टीआर/16 दि.21.11.2001 में दिए निम्नलिखित कार्यविधियों का पालन करना है। भारमुक्ति ज्ञापन में कर्मचारी का फोटोग्राफ को चिपकाना है और उसपर अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाना है और कर्मचारी के बाँए अंगूठी निशान और हस्ताक्षर को नियंत्रण अधिकारी द्वारा सत्यापित करना है।

भारमुक्ति/कार्यग्रहण की तारीख सर्व संबंधितों को सूचित किया जाए।

इसे सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

मंडल कार्यालय,

कार्मिक शाखा,

मदुरै, दि, 06.02.2017

सं. यू/पी.676/9/सिवदूसं/आईडीटी/वाल.6/पीटी

(एम.पी.लिपिनराज)

मंडल कार्मिक अधिकारी/मदुरै

प्रति - मुकाधि/चेन्नै, महाप्र/पी/पूर्व मध्य रेलवे/हाजिपुर, मंरेप्र/पी/सोनेपुर/पूर्व मध्य रेलवे व मंविप्र/मदुरै, सोनेपुर मंडल, व सिवदूसं/इंजी/मदुरै, सोनेपुर मंडल, राधि/मदुरै, वसेइंजी/सि/प्रका/मदुरै, दिंडुक्कल, मुकाधि/सिवदूसं शाखा, सिगनल बिल, पास, आवास, का.आ.फाइल, वसेइंजी/सि/ दिंडुक्कल - श्री कृष्ण कुमार, व तकनीशियन/सिगनल अनुरक्षक/ मणप्पारै को इस कार्यालय को भारमुक्त किया जाए ताकि उनको आगे पूर्व मध्य रेलवे को भारमुक्त किया जा सके।  
डीएसएसआरएमयू/मदुरै

दक्षिण रेलवे  
का.आ.सं. 02/9/सिवदूसं./2017

विषय - तकनीशियन-1/ पेइन्टर(विविध वर्ग) के रूप में पदोन्नति ।

सातवें वेतन आयोग के पे मेट्रिक्स लेवल 4 (पे बैंड रु.5200-20200 + रु.2400 ग्रेड पे) पर कार्यरत श्री इसमाइल अहमद जॉन, तकनीशियन ग्रेड 2/पेइन्टर(विविध)/द/मदुरै को, सातवें वेतन आयोग के पे मेट्रिक्स लेवल 5 (पे बैंड रु.5200-20200 + रु.2800 ग्रेड पे) पर तकनीशियन ग्रेड 1/पेइन्टर(विविध वर्ग) पद के लिए औचित्य पाए जाने पर उनको उक्त पद में पदोन्नत करके वसेइंजी/सि/द/मदुरै के नियंत्रणाधीन द/मदुरै में ही रोक रखा जाता है ।

उपर्युक्त पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों पर आधारित है -

यह पदोन्नति उच्च पद ग्रहण करने की तारीख से लागू होगी ।

उनके विरुद्ध कोई डीएआर/एसपीई/विजिलेंस मामले लंबित नहीं हो और पदोन्नति को रोकनेवाले कोई दंड के अधीन न हो ।

ये कोई निलंबन के अधीन न हो और कोई विभागीय/अपराधी कार्यविधियां आदि उनके विरुद्ध न हो या उनको पदोन्नति से रोकनेवाले कोई दंड के अधीन न हो ।

उपर्युक्त पदोन्नत कर्मचारी पदोन्नत ग्रेड में उच्च पद की जिम्मेदारी लेने की तारीख से बारह महीने तक की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे । आईआरईएम(1989 प्रकाशन) के अध्याय-1 के नियम 113 के अधीन और रेलवे बोर्ड का पत्र सं. ई(एनजी)1-98/सीएन5/1 दि.02.08.2001 (आरबीई सं. 148/2001 और पीबीसी 135/2001) के अनुसार पदोन्नत ग्रेड में आगे बने रहने उनके कार्य निष्पादन और परिवीक्षा की सफलता पूर्वक समाप्ती पर निर्भर है । प्रशिक्षण अवधि को पूरा न करना पदोन्नत कर्मचारी की तरफ में एक खराबी माना जाएगा । यदी पदोन्नत ग्रेड में परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने के पहले, पदोन्नत कर्मचारी जिस पद से पदोन्नत हुए हैं वहां स्थानांतरण का अनुरोध करने पर उनका वेतन लोअर ग्रेड में नियत किया जाएगा।

कर्मचारी यदी पदोन्नति/स्थानांतरण के लिए अनिच्छा प्रकट करने पर उनसे लिखित आवेदन प्राप्त करके दस दिन के अंदर इस कार्यालय को भेजें । उनको अगले एक साल के लिए पदोन्नति से रोक रखा जाएगा और इसके बीच में पदोन्नत उनके कनिष्ठ कर्मचारी वरीयता में उनके ऊपर रखे जाएंगे। इसके बारे में कर्मचारी को विशेष रूप में सूचित किया जाए।

भारमुक्ति/कार्यग्रहण की तारीख इस कार्यालय को सूचित किया जाए ।

इसे सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है ।

मंडल कार्यालय,  
कार्मिक शाखा,  
मदुरै, दि, 03.02.2017  
सं. यू/पी.608/9/सिवदूसं/विविध वर्ग

प्रति -व सिवदूसंइंजी/मदुरै, राधि/मदुरै,  
वसेइंजी/सि/प्रका/मदुरै, द/मदुरै,  
मुकाधी/सिवदूसं शाखा, बिल, का.आ.फाइल, कर्मचारी,  
डीएसमदुरै/एसआरएमयू/, मंकाधि के आशुलिपिक

(एम.पी.लिपिनराज)  
मंडल कार्मिक अधिकारी/मदुरै

